

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा, जिला-उदयपुर  
पीठासीन अधिकारी रिया डाबी, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 88/2021 वाद  
श्री जगन्नाथलाल पिता जगन्नाथलाल जी गंगेती आयु वयस्क निवासी बलीया,  
तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर

बनाम

वादी

1. श्री पुनमचन्द्र पिता पांचा जी गीणा आयु वयस्क निवासी बांरा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, गिर्वा, जिला उदयपुर

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

श्री हरिश कुमार चौधरी अधिवक्ता वादी, उपस्थित

निर्णय

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी ने वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर अंकित किया कि मौजा बारा पटवार क्षेत्र सरु तहसील गिर्वा के खाता संख्या 450 की आराजी संख्या संख्या 10015/826 रकबा 0.1350 हैक्टेयर कुल किता 1 रकबा 0.1350 हैक्टेयर कृषि भूमि में वादी का 8/9 हिस्सा एवं प्रतिवादी एक का 1/9 वां हिस्सा निहित है। उक्त भूमि पर वादी एवं प्रतिवादी अपने निहित हिस्से अनुसार काबिज होकर उपयोग-उपभोग व काश्त कर रहे हैं। उक्त भूमि का विधिक विभाजन नहीं हुआ है। उक्त भूमि का विधिक विभाजन नहीं होने की वजह से वादी व प्रतिवादी संख्या 1 में मध्य आए दिन उक्त भूमि के उपयोग-उपभोग को लेकर विवाद उत्पन्न होता रहता है। उक्त भूमि का प्रतिवादी संख्या-1 को निवेदन किया कि वह आपसी सहमति से भूमि का विभाजन करा लेवें, लेकिन प्रतिवादी संख्या-1 सहमत नहीं हो रहा है, जिससे भूमि का विधिक विभाजन नहीं हो पा रहा है। वादकारण दिनांक 25.06.2021 को तक उत्पन्न हुआ, जब प्रतिवादी संख्या-1 ने उक्त भूमि के विधिक विभाजन से इन्कार कर दिया और वादी को बेदखल करने की धमकी दी।

अतः निवेदन है कि वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरुद्ध निम्न आशय की डिक्री प्रदान कराई जावे कि वाद पत्र की कलम संख्या 1 में अंकित कृषि भूमि का हिस्सेनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या-1 में मध्य मिट्स एण्ड बाउण्डस् के आधार पर विधिक विभाजन कराया जावे तथा राजस्व रेकॉर्ड में नाम अलग-अलग अंकित कराया जावे।

प्रकरण में न्यायालय द्वारा दिनांक 22.11.2022 को वादी का वाद प्रारंभिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार गिर्वा को मौका कमिश्नर नियुक्त कर पक्षकारों के मध्य



*(Handwritten signature)*

उपखण्ड अधिकारी  
गिर्वा, उदयपुर

उभयपक्ष की उपस्थिति में बंटवाडा कर बंटवाडा रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया। तहसीलदार गिर्वा द्वारा पक्षाकारों को जरिये सूचना पत्र प्रेषित कर पक्षाकार राजस्व ए/2024/64 दिनांक 29.01.2024 द्वारा प्रारम्भिक डिक्री पालना रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। जिस पर वादी द्वारा राहगति प्रवान की गई तथा रिपोर्ट को अस्तित्व में लाया डिक्री जारी करने का निवेदन किया गया। तहसीलदार गिर्वा द्वारा प्रस्तुत बंटवाडा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। वादी अधिवक्ता द्वारा बंटवारा प्रस्ताव पर राहगति जाहिर की गई है। प्रतिवादीगण व्यागलय समय समाप्ति तक उपस्थित नहीं हुए तथा ना ही उनकी तरफ से बंटवारा प्रस्ताव पर कोई आपाक्ष प्रस्तुत की गई है जिससे यह स्पष्ट होता है कि प्रतिवादीगण भी तहसीलदार द्वारा तैयार बंटवारा प्रस्ताव पर सहमत है।

अतः तहसीलदार गिर्वा द्वारा प्रस्तुत प्रारम्भिक डिक्री पालना रिपोर्ट अनुसार

1-किशनलाल पुत्र जमना गमेती हिस्सा पूर्ण जाति भील बलीचा गिर्वा खातेदार  
 आ.स. रकबा किस्म  
 10015/826/1 0.1200 ए.सा.द्वि.  
 किता 1 रकबा 0.1200

2-पूनमचंद पुत्र पांचा हिस्सा पूर्ण जाति भीणा सा. देह खातेदार  
 आ.स. रकबा किस्म  
 10015/826/2 0.0150 ए.सा.द्वि.  
 किता 1 रकबा 0.0150

उक्तानुसार वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य राजस्व ग्राम बारा पटवार क्षेत्र सरु के खाता संख्या 450 की आराजी संख्या संख्या 10015/826 रकबा 0.1350 हैक्टेयर कुल किता 1 रकबा 0.1350 हैक्टेयर भूमि का बंटवाडा कर वादी का वाद फाईनल डिक्री किया जाता है तथा प्रतिवादी संख्या 1 को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादी के हिस्से में दर्ज भूमि में किसी प्रकार की दखलअदाजी नहीं करें। तहसीलदार बारापाल तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। बंटवारा रिपोर्ट व नक्शा ट्रेस डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। फाईनल डिक्री जारी हो।

निर्णय सरेइजलारा सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।



(रिया डाबी)  
 आई.ए.एस.  
 उपरवाड अधिकारी  
 गिर्वा, उदयपुर

**डिक्री व मुकदमे इब्दाई**

(आदेश 20 के नियम 6 और 7 सि.प्र.सं.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा, उदयपुर मुकाम गिर्वा-उदयपुर पीठासीन अधिकारी रिया डाबी, आई.ए.एस. मुकदमा 88/2021 सन 2021 सीगह वाद श्री किशनलाल पिता जमनालाल जी गमेती आयु वयस्क निवासी बलीचा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर बनाम (1)श्री पुनमचन्द्र पिता पांचा जी भीणा आयु वयस्क निवासी बारा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (2)राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, गिर्वा, जिला उदयपुर वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का यह मुकदमा आज वास्ते अन्तिम निपटारा किये जाने रिया डाबी, आई.ए.एस. के समक्ष प्रस्तुत हुआ। वादी अधिवक्ता हरिश कुमार चौधरी की उपस्थिति में आदेश दिया जाता है कि :-

1-किशनलाल पुत्र जमना गमेती हिस्सा पूर्ण जाति भील बलीचा गिर्वा खातेदार आ.स. 10015 / 826 / 1 किता 1	रकबा 0.1200	किस्म ए.सा.द्वि.
2-पूनमचंद पुत्र पांचा हिस्सा पूर्ण जाति भीणा सा. देह खातेदार आ.स. 10015 / 826 / 2 किता 1	रकबा 0.0150	किस्म ए.सा.द्वि.
	रकबा 0.0150	

उक्तानुसार वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य राजस्व ग्राम बारा पटवार क्षेत्र सरु के खाता संख्या 450 की आराजी संख्या संख्या 10015 / 826 रकबा 0.1350 हैक्टेयर कुल किता 1 रकबा 0.1350 हैक्टेयर भूमि का बंटवाडा कर वादी का वाद फाईनल डिक्री किया जाता है तथा प्रतिवादी संख्या 1 को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादी के हिस्से में दर्ज भूमि में किसी प्रकार की दखलअदाजी नहीं करें। तहसीलदार बारापाल तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। वंटवारा रिपोर्ट व नक्शा ट्रेस डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा।

और इस वाद के खर्चे लेखे .....रुपये की राशि.....आज की तारीख से वसूली की तारीख तक उस पर .....प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित .....द्वारा .....को दी जाए।

यह आज तारीख .....30..... माह 04..... सन् 2024..... को मेरे से हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।



हस्ताक्षर न्यायाधीश .....  
पद .....  
उपखण्ड अधिकारी  
गिर्वा, उदयपुर